FORM NO. III

APP-A
Orim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2022/304

अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

राजस्थान जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम श्री विनोद पुत्र श्री चन्दगीराम

मुकदमा FSSAI नं. 42 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/9/22	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/09/2022 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	
21/9/22	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 13/10/22 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं	
13/10/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 28/10/22 को पेश हो।	
28/10/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 25/11/22 को पेश हो।	
25/11/22	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी [illegible] को पेश हो अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं	
27/12/22	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 27/1/23 को पेश हो अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:37 IST
Reason: SelfAttested

27/1/23

पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी विकास नगर प्रिन्स स्कूल के पास, सुरजगढ रोड़, चिड़ावा, झुन्झुनू में मै0 शिव शक्ति डेयरी के नाम फर्म है। जहां वह पनीर तैयार कर बेचान करता है। उसकी फर्म से पनीर का सैम्पल लिया गया था जो कि सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाया गया है। अनावेदक का कथन है कि वह शुद्ध पनीर तैयार करता है लेकिन गलती से पनीर खराब पानी में रखा जाने के कारण पनीर खराब हो गया था। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1789/एक्ट/2022/1786 दिनांक 10.05.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी फर्म मै0 शिव शक्ति डेयरी में खुद पनीर तैयार कर बेचान करता है तथा स्वयं फर्म मालिक है। उक्त अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ पनीर सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री विनोद कुमार पुत्र श्री चन्दगीराम, मै0 शिव शक्ति डेयरी, विकास नगर प्रिन्स स्कूल के पास, सुरजगढ रोड़, चिड़ावा, झुन्झुनू निवासी महराणा, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 15000/– पन्द्रह हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं